कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, अमरोहा।

पत्रांक /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांक :– 26 नवम्बर, 2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या– I/1092245/2025/3313/58–1–2025 (197687) बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ, 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना अमरोहा शहर, अमरोहा देहात, धनौरा, गजरौला, गंगेश्वरी, हसनपुर, व जोया में आंगनबाडी सहायिका के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमन्त्रित किये जाते है। रिक्त पदों का विकास खण्ड/परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण / शहरी	रिक्त पदों का विवरण
			आंगनबाड़ी सहायिका
1	अमरोहा शहर	शहरी	27
2	अमरोहा देहात	ग्रामीण	23
3	धनौरा	ग्रामीण	20
4	गजरौला	ग्रामीण	26
5	गंगेश्वरी	ग्रामीण	19
6	हसनपुर	ग्रामीण	13
7	जोया	ग्रामीण	27
योग			155

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1–आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।

2–आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी, मेरिट इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी।

3–आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदिका की आयु दिनांक 01.07.2026 को न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष के अन्तर्गत होनी चाहियें । आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

4–अभ्यर्थी उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्र में रिक्त पदों पर आवेदन करते समय ऑनलाइन जारी निवास प्रमाण पत्र में सम्बन्धित वार्ड क्रमांक/संख्या एवं सम्बन्धित वार्ड का नाम अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।

5–विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 नवम्बर, 2026 से दिनांक 17 दिसम्बर, 2026 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें।

6–विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेवसाइड http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग), कार्यालय अमरोहा में कार्यालय दिवस में निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं।

7–यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत व कूटरचित पाये जायेगें तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगीं। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन किसी भी आवेदन/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन संलग्न किये गये अभिलेख स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिये।

8–आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 46080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्रों रूपये 56460.00 वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

9–आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

10– निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

Scanned with OKEN Scanner

11–गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।

12–विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

13–गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को चयन में वरीयता दी जायेगी।

14–उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की निवासी अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप मेरिट के अनुसार शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप होगा।

15–एक ही आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाओं के पद पर नहीं की जायेगी।

16–आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।

17–विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट/बढ़ सकती है अथवा चयन रोका/अवरूद्ध किया जा सकता है।

18–आवेदन एवं चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/58–1–2025 (197687) बाल विकास एवं पुष्टाहार, अनुभाग लखनऊ, 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विचलन पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थिनी का होगा।

(ज्ञान प्रकाश तिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–अमरोहा।

पृष्ठांकन C-894 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदया, जनपद–अमरोहा।
3–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जनपद–अमरोहा।
4–समस्त चयन समिति सदस्य, जनपद–अमरोहा।
5–समस्त उप जिलाधिकारी, अमरोहा।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), अमरोहा।
7–जिला सूचना अधिकारी, जनपद–अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।
8–सम्पादक, दैनिक समाचार, अमर उजाला/ दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति निर्धारित शासकीय दरों पर जनपद अमरोहा में प्रकाशित करते हुये बिल इस कार्यालय को अबिलम्ब प्रस्तुत करने की कृपा करें।
9–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद–अमरोहा को इस निर्देश के साथ कि रिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण खण्ड विकास कार्यालय के सूचना पट पर एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करवाते हुये सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अमरोहा में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद–अमरोहा।

Scanned with OKEN Scanner